प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 11.09.2025

मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल व कारतूस बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तार हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट के नेतृत्व में उ0नि0 अमरेश कुमार सिंह चौकी प्रभारी बेतियाहाता द्वारा मय पुलिस टीम के थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 489/2025 धारा 115(2),352,351(3) BNS से संबंधित अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ चिपटा के कब्जे से एक अदद अबैध पिस्टल .32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस के गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10/09/2025 को अभियुक्त, वादी के भाई के साथ गाली-गलौज करते हुए मार-पीट कर रहा था जब वादी मुकदमा बीच बचाव करने आये तो अभियुक्त असलहा लहराते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

अनिल कुमार उर्फ चिपटा पुत्र अमरनाथ प्रसाद उर्फ डेबा पता रूस्तमपुर ढ़ाला थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

बरामदगी- एक अदद अवैध पिस्टल 0.32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 489/2025 धारा 115(2),352,351(3) BNS व 3/25 आयुध अधिनियम थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 अमरेश कुमार सिह चौकी प्रभारी बेतियाहाता थाना कैण्ट, गोरखपुर
2. हे0का0 अजय यादव थाना कैण्ट, गोरखपुर
3. का0 आशुतोष पाण्डेय थाना कैण्ट, गोरखपुर